न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2013 निगरानी R 3786 III/13

1. हरनाम सिंह पुत्र श्री भूपत सिंह
2. दुलाजु मृतक (वारीसान)
   घासीराम पुत्र श्री दुलाजु निवासी-- ग्राम बमौरी तहसील चंदेरी जिला अशोक नगर ....आवेदकगण

बनाम्

1. पूरनिया पुत्र छुट्टा
2. तोफान पुत्र गुल्ला
3. गोकलिया पुत्र मंगलिया
4. हरीसिंह पुत्र कडोरी
5. रामराखी पत्नी तोरन
6. गुन्ना पुत्र मंगलिया
7. कडोरी पुत्र गोकलिया
8. गंगाराम पुत्र कमला
9. मीरा पत्नी गंगाराम
10. फुल्ला पुत्र महुआ उर्फ गुलटुआ
11. देवी सिंह पुत्र गम्भीर सिंह
12. गजेन्द्र सिंह पुत्र गम्भीर सिंह
13. रघुराज सिंह पुत्र अमान सिंह
14. भान सिंह पुत्र अमान सिंह
15. वीर सिंह पुत्र कल्याण सिंह
16. सुरजन सिंह पुत्र भूपत सिंह
17. सिरनाम सिंह पुत्र अमान सिंह
    समस्त निवासी-- ग्राम बमौरी तहसील चंदेरी जिला अशोक नगर म.प्र.। ....अनावेदकगण

17.10.13
(Lakhan Singh Dhakad Adv.)

निगरानी आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी महोदय अनुभाग चंदेरी के प्रकरण क्रमांक 28/02–03 अपील में पारित आदेश दिनांक 29.08.2013 के विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत

माननीय न्यायालय,

आवेदकगण की ओर से निगरानी आवेदन पत्र निम्नानुसार प्रेषित है :–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य :–

1. यहकि, विवादित् भूमि सर्वे क्रमांक 124/02 एवं सर्वे क्रमांक 260 रकबा ...... हैक्टेयर है। उक्त विवादित् भूमि ग्राम बमौरा तहसील चंदेरी जिला अशोक नगर में स्थित है उक्त विवादित् भूमि का पट्टा अनावेदक क्रमांक 1 लगायत 10 को तहसील न्यायालय के प्रकरण क्रं 38/अ–19/1–01–02 एवं प्रकरण क्रमांक 19/अ–19/99–2000 मे पारित आदेश दिनांक 13.05.2002 एवं 12.05.2000 को अनावेदकगण के हित में पृथक – पृथक पट्टे पर आवंटन किया गया है। उक्त पट्टे प्रतिनिगरानीकर्तागण 1 [illegible] 10 को नियम विरूद्ध किये गये है। तहसील न्यायालय द्वारा भूमि आवंटन के मामले में विधिवत् प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है और सम्पूर्ण कार्यवाही गोपनीय रूप से की गई है विवादित् भूमि पर पूर्व से ही आवेदकगण के अलावा अन्य व्यक्तियों का भी कब्जा रहा है। आवेदकगण तथा गांव के अन्य व्यक्तियों को भी कोई विधिवत् सूचना नहीं दी गई है। जबकि भूमि आवंटन के मामले मे प्रत्येक ग्राम वासी को विधिवत् सूचना देना आवश्यक है और विवादित् भूमि पर आवेदकगण का वर्षो से कब्जा रहा है, फिर भी अनावेदकगण को विधिवत् कोई सूचना व सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है। जिन लोगों के हित में भूमि का आवंटन किया गया है। वह लोग एक ही परिवार के कई व्यक्तियों को और बड़े – बड़े कृषकों को बंटन किया गया है जिसकी की उन्हें पात्रता नहीं थी, फिर भी तहसील न्यायालय द्वारा अपात्र व्यक्तियों को भूमि आवंटन की गई है। तहसील न्यायालय के आलोच्य आदेश के विरूद्ध 13.05.2002 के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी महोदय चंदेरी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। जिसका प्रकरण क्रं. 28/अपील/2002–03 पर दर्ज की जाकर दिनांक 17.07.2006 से आवेदकगण का धारा 5 का आवेदन स्वीकार्य किया

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक-निग./3786/तीन/2013 जिला अशोकनगर

हरनाम सिंह आदि विरूद्ध पूरनिया

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
17/6/19	प्रकरण आज लिया गया। आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी अनुभाग चंदेरी, जिला अशोकनगर के प्रकरण क्रमांक:- 28/2002-03/अपील में पारित आदेश दिनांक 29/08/2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-9-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत यह निगरानी सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर जिला अशोकनगर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 05/8/19 को कलेक्टर जिला अशोकनगर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (आर0के0 जैन) 17/6/19 सदस्य	